श्रीमान जी,

प्रार्थी द्वारा प्रा॰पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् जरिये वकील श्री सत्य-नारायण शर्मा के पेश किया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रा॰ पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया है।

अतः प्रा॰पत्र वास्ते अव॰ एवं आदेशार्थ श्रीमान के समक्ष सादर प्रेषित है।

18/07/25

Sub div. sir,

18/7/25

18/07/2025 प्रार्थी महेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर द्वारा जरिये वकील सत्यनारायण शर्मा के प्रा॰पत्र पुनः नंबर पर लिये जाने T.I प्रा॰पत्र बाबत् पेश कर सीधे बहस की गयी। दौराने बहस प्रार्थी वकील ने कथन किया कि उपरोक्त अपनी प्रकृति में दिनांक 15/07/2025 नियत थी। प्रकरण अधिवक्ता दीगर प्रकरण में Acm कोर्ट में पैरवी हेतु गये जिसका न्यायालय द्वारा अधिवक्ता की अनुपस्थिति दिखाकर इस प्रकरण को अगली पैरवी में खारिज करवा दिया। अतः प्रा॰पत्र स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नंबर पर लिये जाने बाबत् निवेदन किया।

हमने प्रा॰पत्र पर प्रार्थी वकील को एतराजीय सुना। प्रार्थी वकील बहस पर भजन किया। प्रार्थी प्रा॰पत्र एवं T.I पत्रावली का अवलोकन किया जिससे अभी तक अप्रार्थीगण की तामील नहीं हुयी है प्रकरण प्रारंभिक स्तर (तलबी) में खारिज हुआ है अतः प्रार्थी प्रा॰पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचना से प्रार्थी प्रा॰पत्र पुनः नंबर पर लिये जाने प्रा॰पत्र T.I स्वीकार किया जाकर मूल T.I प्रकरण सं॰ 125/2024 महेन्द्र सिंह बनाम अरुण वगै॰ पुनः नंबर पर लिया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर संलग्न मूल T.I पत्रावली रहे। मूल T.I प्रा॰पत्र पुनः दर्ज कर दिनांक 21/08/25 को पेश हो।

18/7/25

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)